रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072022-237528
CG-DL-E-23072022-237528

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3186] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 22, 2022/आषाढ़ 31, 1944
No. 3186] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 22, 2022/ASHADHA 31, 1944

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2022

का.आ. 3347(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप–खण्ड (ii), तारीख 12 अक्तूबर, 2021 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 4237 (अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के निष्पादन, रख–रखाव, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, ''अमर उजाला'' और ''टाईम्स ऑफ इण्डिया'' में तारीख 27 नवंबर, 2021 को प्रकाशित किया गया था;

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया है तद्नुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला–सहारनपुर

क्रम सं.	तहसील/ तालुक का नाम	गॉव का नाम	सर्वेक्षण आख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिग्रहीत वर्ग मी0 में	भू–स्वामी/भू–स्वामियों का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नकुड	सरसावा बाहर हदूद	204	निजी	कृषि	346.08	राजेन्द्र कुमार, जितेन्द्र कुमार, नरेन्द्र कुमार, सुरेन्द्र कुमार, बिजेन्द्र कुमार पुत्रगण चन्द्रभान।
			200	निजी	कृषि	307.80	सुरेन्द्र कुमार पुत्र चन्द्रभान।
			193	निजी	कृषि	1322.57	राजेन्द्र कुमार, जितेन्द्र कुमार, नरेन्द्र कुमार, सुरेन्द्र कुमार, बिजेन्द्र कुमार पुत्रगण चन्द्रभान।
			202	निजी	कृषि	1749.80	राजेन्द्र कुमार पुत्र चन्द्रभान विकास कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार।
			191	निजी	कृषि	427.50	गुरदेव सिंह पुत्र टहलसिंह।
			190	निजी	कृषि	5482.05	गुरदेव सिहं पुत्र टहल सिंह दिलराजसिंह, अमृतपाल सिंह पुत्रगण गुरदेव सिंह, गुरबीर कौर पत्नी गुरदेव सिंह।
			184	निजी	कृषि	240.00	रामप्रकाश गोयल, मनमोहन गोयल पुत्रगण जोतीराम ।
			185	निजी	कृषि	320.00	रामप्रकाश गोयल, मनमोहन गोयल पुत्रगण जोतीराम।
			187	निजी	कृषि	588.00	सुरेशपाल पुत्र अंगूरलाल।
2	सहारनपुर	इब्राहिमी	131	निजी	कृषि	442.90	श्रीमति कैलाशवती पत्नी त्रिलोकचन्द, नरेशवती पत्नी जनेश्वर प्रसाद, ब्रिजेश कुमार, राजेश कुमार पुत्रगण त्रिलोकचन्द।
			130	निजी	कृषि	789.25	रजनी शर्मा पत्नी मंगेश कुमार, लक्ष्मी शर्मा पत्नी राकेश कुमार, पारूल शर्मा पत्नी संजय शर्मा।
3	सहारनपुर	सुआखेडी	252	निजी	कृषि	78.40	श्रीमती लक्ष्मी शर्मा पत्नी राकेश कुमार, श्रीमती बेबी देवी पत्नी सतीश कुमार, अनिल कुमार, जंगशेर उर्फ जग्गू संजय कुमार पुत्र चरण सिंह।

[फा. सं. 2022/एलएमएल–II/12/2/ईसी/2328]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भू.एवं सु.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2022

S.O. 3347(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O.4237 (E), dated the 12th October, 2021, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 12th October, 2021 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Saharanpur in the State of Uttar Pradesh;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely, "Amar Ujala" and "The times of India" dated the 27th November, 2021 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received and the same have been considered by the Competent Authority accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Saharanpur in the State of Uttar Pradesh.

District: Saharanpur

Sl. No.	Name of Taluka	Name of Village	Khasra No.	Type of Land	Nature of Land	Area (in Sqm)	Name of Owner of Land
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nakud	Sarsawa Bahar Hadud	204	Private	Agriculture	346.08	Rajendar Kumar, Jeetandar Kumar, Narandar Kumar, Surendar Kumar, Bejendar Kumar S/o Chadarbhan.
			200	Private	Agriculture	307.80	Surendar Kumar S/o Chadar Bhan.
			193	Private	Agriculture	1322.57	Rajendar Kumar, Jeetandar Kumar, Narandar Kumar, Surendar Kumar, Bejendar Kumar S/o Chadarbhan.
			202	Private	Agriculture	1749.80	Rajendar Kumar S/o Chandarbhan, Vikash kumar S/o Mahandar Kumar.
			191	Private	Agriculture	427.50	Gurdav Singh S/o Tahal Singh.

			190	Private	Agriculture	5482.05	Gurdav Singh S/o Tahal Singh, Dilraj Singh, Amratpal Singh S/o Gurdav Singh, Gurbeer kour w/o Gurdav Singh.
			184	Private	Agriculture	240.00	Ramparkesh goyal, Manmohan goyal S/o Jotiram.
			185	Private	Agriculture	320.00	Ramparkesh goyal, Manmohan goyal S/o Jotiram.
			187	Private	Agriculture	588.00	Sureshpal S/o Angurlal.
2	Saharanpur	Ibrahimi	131	Private	Agriculture	442.90	Smt. Kailashvati w/o Tirlok Chand, Nareshvati w/o Janeshwar parsad, Birjesh Kumar, Rajesh Kumar s/o Tirlok Chand.
			130	Private	Agriculture	789.25	Rajni Sharma w/o Mangash Kumar, Laxmi Sharma w/o Rakesh Kumar, Parul Sharma w/o Sanjay Sharma.
3	Saharanpur	Suwakhari	252	Private	Agriculture	78.40	Smt. Laxmi Sharma w/o Rakesh Kumar, Baby Davi w/o Satish Kumar, Anil Kumar Janghshar urf Jaggu, Sanjay Kumar S/o Charan Singh.

[F. No. 2022/LML-II/12/2/EC/2328]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (L&A)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.07.23 17:09:57 +05'30'